



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-66

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 260820 दिनांक 10/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Shoji S/o Gopi Ram एवं Dayal Bairwa S/o GOPI RAM BAIRWA एवं Chhoturam S/o GOPIRAM एवं Sharda Devi W/o PAPPU LAL एवं Vishnu Bairwa S/o PAPPU LAL BAIRWA एवं Sanjay Bairwa S/o PAPPU LAL BAIRWA	श्री गोपीराम पुत्र श्री कानाराम	S468	72.00 SQ. METER	JDA	SEZ KHATEDAR (VILLAGE PALDI PARSA) Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

श्री Shoji S/o Gopi Ram एवं Dayal Bairwa S/o GOPI RAM BAIRWA एवं Chhoturam S/o GOPIRAM एवं
Shardul Dev S/o विजयपाल के प्रति निवेदन। जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर विकास प्राधिकरण) द्वारा जारी
पत्राचार-पत्र (पत्राचार-पत्र) का प्रकाशन करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर विकास प्राधिकरण) के
प्रकाशन के लिए प्रकाशन दिनांक से फोटो साईज में सम्यक्स्थिति में कोमल पेज पर संचालित प्रकाशन के लिए
प्रकाशन की रकम प्रदान करने के लिए प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विजयपाल दिखाई दे,
ऑनलाइन प्रकाशन करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।